# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 45 / 2018 / बाड़मेर

| अपीलांट | | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. जेठीदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धीराणियों की ढाणी, सरली तहसील व जिला बाड़मेर। | बनाम | 1.बालाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी धीराणियों की ढाणी सरली तहसील व जिला बाड़मेर। 2.तहसीलदार व उपपंजीयक बाड़मेर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 134 / 2015 बअनवान बालाराम बनाम पूराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री वीरमाराम धारासर रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः— **15.10.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद प्रतिवादी संख्या 01 ने इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 10.01 बीघा मौजा धीराणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर आया हुआ है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 12.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर से मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार बाड़मेर स्वयं ने मौके पर न जाकर अपने अधिकार हल्का पटवारी व आर आई को प्रदान कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया, जबकि विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के पक्षकारों / सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा तकासमा किया जाना है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को सूचना दिये ही विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा बिना अपीलकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये तैयार किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलांट उक्त वाद के संधारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश मूल वाद में अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया जबकि अपीलांट वाद पेश होने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड सहखातेदार थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त पक्षकार संयोजित किया गया है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.05.2017 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट सरली में पारित किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव भी सरली कैम्प कोर्ट में उसी दिन पेश किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को एकतरफा विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। वर्तमान में अरसा एक डेढ माह पूर्व उतरदाता संख्या 01 अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांट को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने का प्रयास करने लगा जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो अपीलांट ने बताया कि हमारी भूमि का बंटवाडा न्यायालय से हो चुका है जिस पर अपीलांट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 की नकल दिनांक 08.05.2018 को प्राप्त की गई तब अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश वाद में अपीलांट को पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद पेश होने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट सरली में किया गया है। कैम्प कोर्ट में राजीनामे एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है एकपक्षीय निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 134/2015 बअनवान बालाराम बनाम पूराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

15/10/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner